



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266549  
CG-DL-E-30092025-266549

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4313]

नई दिल्ली सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947

No. 4313]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4437(अ).— केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, उत्तराखण्ड से महान एनर्जन लिमिटेड (अडानी पावर), सिंगरौली, मध्य प्रदेश तक एक जेनरेटर स्टेटर को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल वाहन भार और आकार इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उपरोक्त परिवहन के लिए एक जेनरेटर स्टेटर के परिवहन हेतु मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

| क्र. सं. | प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या | मेक              |
|----------|---------------------------------|------------------|
| 1.       | जीजे 27टीएफ 6229                | वॉल्वो -520 एचपी |

|    |                    |                  |
|----|--------------------|------------------|
| 2. | जीजे 27टीएफ 6022   | वॉल्वो -520 एचपी |
| 3. | जीजे 27टीएफ 2450   | वॉल्वो -520 एचपी |
| 4. | जीजे 16एडब्लू 4181 | वॉल्वो -520 एचपी |
| 5. | जीजे 16एडब्लू 4181 | वॉल्वो -520 एचपी |
| 6. | जीजे 16एडब्लू 4181 | वॉल्वो -520 एचपी |
| 7. | जीजे 27टीएफ 2450   | वॉल्वो -500 एचपी |

3. उपरोक्त गतिविधियों में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों का उपयोग किया जाएगा:-

| क्र. सं. | ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या | मेक       | ट्रेलरों में धुरियों की संख्या | अनुमेय सकल वाहन भार (टन में) |
|----------|----------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 1.       | एपी 31 टीबी 6592           | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 2.       | एपी 31 टीबी 6593           | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 3.       | एपी 31 टीबी 6594           | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 4.       | एपी 31 टीबी 6595           | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 5.       | एपी 31 टीबी 6596           | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 6.       | जीजे 12 एयू 8365           | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 7.       | जीजे 12 एयू 8365           | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 8.       | जीजे 12 एयू 8365           | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 9.       | जीजे 12 एयू 8365           | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 10.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 6                              | 156                          |
| 11.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 6                              | 156                          |
| 12.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 6                              | 156                          |
| 13.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 6                              | 156                          |
| 14.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 6                              | 156                          |
| 15.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 6                              | 156                          |
| 16.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 4                              | 104                          |
| 17.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 4                              | 104                          |
| 18.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 4                              | 104                          |
| 19.      | एचआर 39 ई 1549             | टी ॥      | 2                              | 52                           |
| 20.      | एमएच 06 एक्यू 8551         | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 21.      | एमएच 06 एक्यू 8551         | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 22.      | एमएच 06 एक्यू 8551         | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 23.      | एमएच 06 एक्यू 8551         | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 24.      | एमएच 46 एच 0601            | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 25.      | एमएच 46 एच 0601            | गोल्डहोफर | 4                              | 104                          |
| 26.      | एमएच 46 एच 0601            | गोल्डहोफर | 8                              | 208                          |
| 27.      | एमएच 46 बीएम 0601          | गोल्डहोफर | 6                              | 156                          |
| 28.      | एमएच 46 बीएम 0601          | गोल्डहोफर | 3                              | 78                           |

|     |                   |                    |           |     |
|-----|-------------------|--------------------|-----------|-----|
| 29. | एमएच 46 बीएम 0601 | गोल्डहोफर          | 3         | 78  |
| 30. | एमएच 46 बीएम 0601 | गोल्डहोफर          | 3         | 78  |
| 31. | एमएच 46 बीएम 0601 | गोल्डहोफर          | 3         | 78  |
| 32. | एमएच 46 बीएम 0601 | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 33. | एमएच 46 बीएम 0601 | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 34. | एमएच 46 बीएम 0601 | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 35. | एचआर 38 एएफ 1243  | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 36. | एचआर 38 एएफ 2618  | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 37. | एचआर 58 डी 1243   | गोल्डहोफर          | 6 स्प्लिट | 156 |
| 38. | एचआर 58 डी 1243   | गोल्डहोफर          | 6         | 156 |
| 39. | एचआर 58 ई 1243    | गोल्डहोफर          | 6         | 156 |
| 40. | एचआर 38 जेड 1243  | टी II              | 4         | 104 |
| 41. | एचआर 38 जेड 1243  | टी II              | 6         | 156 |
| 42. | एचआर 38 एबी 1243  | टी II              | 4         | 104 |
| 43. | एचआर 38 एबी 1243  | टी II              | 6         | 156 |
| 44. | एचआर 38 एई 1243   | टी II              | 6 स्प्लिट | 156 |
| 45. | एचआर 38 एई 1243   | टी II              | 4 स्प्लिट | 104 |
| 46. | एचआर 55 क्यू 1243 | गोल्डहोफर          | 6         | 156 |
| 47. | एचआर 55 क्यू 1243 | गोल्डहोफर          | 8         | 208 |
| 48. | एचआर 55 क्यू 1243 | गोल्डहोफर          | 6         | 156 |
| 49. | एचआर 55 क्यू 1243 | गोल्डहोफर          | 8         | 208 |
| 50. | एचआर 55 पी 1243   | गोल्डहोफर          | 6         | 156 |
| 51. | एचआर 55 पी 1243   | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 52. | एचआर 55 पी 1243   | गोल्डहोफर          | 4         | 104 |
| 53. | एचआर 55 पी 1243   | गोल्डहोफर          | 6         | 156 |
| 54. | एचआर 55 पी 1243   | गोल्डहोफर          | 8         | 208 |
| 55. | एचआर 58 एएल 1243  | गोल्डहोफर एसपीएमटी | 6         | 156 |
| 56. | एचआर 58 एएल 1243  | गोल्डहोफर एसपीएमटी | 6         | 156 |
| 57. | डीडी 01 एल 9685   | गोल्डहोफर एसपीएमटी | 6         | 156 |

4. यान और भार विन्यास :- लदी हुई स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

| विवरण | टन में बिना भार वाली धुरियों का भार मीट्रिक टन (एमटी) में | माल का भार मीट्रिक टन (एमटी) | वाहन का लदान भार (एमटी) | प्रति धुरी भार रेखा (एमटी) | वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में) | माल का समग्र आयाम (मीटर में) |              |             | लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|
|       |                                                           |                              |                         |                            |                               | लं.<br>(मी.)                 | चौ.<br>(मी.) | ऊ.<br>(मी.) |                                                 |

|        |           |        |        |       |      |        |       |       |                                  |
|--------|-----------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|----------------------------------|
| स्टेटर | 79.2      | 466.26 | 545.46 | 22.73 | 6048 | 10.880 | 5.104 | 4.950 | 12+12=24 धुरी                    |
|        | 79.2      | 466.26 | 545.46 | 22.73 | 6050 | 10.880 | 5.104 | 4.950 | 16+1½= 24 धुरी                   |
|        | 105.6+149 | 466.26 | 720.86 | 22.52 | 6376 | 10.880 | 5.104 | 4.950 | 16+16+32 गर्डर<br>पुल युक्त धुरी |

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है कि:-

i. इन अति आयामी माल के परिवहन के लिए विशिष्ट मार्ग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार, उत्तराखंड से महान एनर्जेन लिमिटेड (अडानी पावर), सिंगरौली, मध्य प्रदेश तक सड़क मार्ग से इस प्रकार होगा-

रूडकी - मुजफ्फरनगर - घसीपुरा - खतौली गांव - पवलीखास गांव - खरखौदा गांव - हापुड - गुलावथी गांव - बुलंदशहर - खुड़या बाईपास - गिरिधरपुर गांव - ससनी गांव - हाथरस बाईपास - सुल्तानगंज - मणिया - धोळपुर - बमोर गांव - ग्वालियर बाईपास - डाबरा - गोराघाट - दतिया - चिरूला चेक पोस्ट - झांसी बाईपास - ललितपुर बाईपास - रामनगर - सागर - सुजानपुर - महाराजपुर - हिरनपुर - लिंगा - करेली - नरसिंहपुर - बकोरी - डोडवाड़ा गांव - लकंडौन - धुमा गांव - बरगी गांव - जबलपुर - गोसालपुर गांव - सिहोड़ा गांव - छपरा गांव - तिवारी गांव - कटनी - जुकेही गांव - खमरिया गांव - पालोहा गांव - आमदरा गांव एवं नौगांव गांव - महेदर गांव - बरहिया गांव - अमतेपाटन गांव बाईपास - बेला गांव - उमरी, रीवा - रीवा बाईपास - सिध्दी - बाहरी - बरगवां - परसौना - राजमिलन - महान एनर्जेन लिमिटेड, सिंगरौली मध्य प्रदेश।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

(iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स प्रिज्म लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा वहन की जाएगी।

(v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।

(vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

(viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।

(ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।

(x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।

(xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।

(xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।

(xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकृत हैं।

(xv) किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xvi) माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/04/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

**S.O. 4437(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Generator Stator from BHEL-Haridwar, Uttarakhand to Mahan Energen Limited Project site, Madhya Pradesh by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

### SCHEDULE

1. Prism Logistics Ltd. is the transporter of M/s Bharat Heavy Electricals Limited, for transportation of one Generator Stator for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

| Sl. No. | Registration No. of Prime Movers | Make |
|---------|----------------------------------|------|
|---------|----------------------------------|------|

| Sl. No. | Registration No. of Prime Movers | Make           |
|---------|----------------------------------|----------------|
| 1       | GJ-27TF-6229                     | Volvo (HP 520) |
| 2       | GJ-27TF-6022                     | Volvo (HP 520) |
| 3       | GJ-27TF-2450                     | Volvo (HP 520) |
| 4       | GJ-16AW-4181                     | Volvo (HP 520) |
| 5       | GJ-16AW-4472                     | Volvo (HP 520) |
| 6       | GJ-16AW-4245                     | Volvo (HP 520) |
| 7       | GJ-27TF-8192                     | Volvo (HP 500) |

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

| Sl. No. | Registration No. of Trailers | Make      | No. of Axles in Trailers | GVW sanctioned/ Mentioned in RC of Trailers (in Ton) |
|---------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1       | AP-31TB-6592                 | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 2       | AP-31TB-6593                 | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 3       | AP-31TB-6594                 | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 4       | AP-31TB-6595                 | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 5       | AP-31TB-6596                 | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 6       | <b>GJ-12AU-8365</b>          | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 7       | <b>GJ-12AU-8368</b>          | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 8       | <b>GJ-12AU-8364</b>          | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 9       | <b>GJ-12AU-8367</b>          | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 10      | <b>HR-39E-1549</b>           | TII       | 6                        | 156                                                  |
| 11      | <b>HR-39E-2045</b>           | TII       | 6                        | 156                                                  |
| 12      | <b>HR-39E-5668</b>           | TII       | 6                        | 156                                                  |
| 13      | <b>HR-39E-6308</b>           | TII       | 6                        | 156                                                  |
| 14      | <b>HR-39E 8059</b>           | TII       | 6                        | 156                                                  |
| 15      | <b>HR-39E-8531</b>           | TII       | 6                        | 156                                                  |
| 16      | <b>HR-39E-0510</b>           | TII       | 4                        | 104                                                  |
| 17      | <b>HR-39E-7623</b>           | TII       | 4                        | 104                                                  |
| 18      | <b>HR-39E-5748</b>           | TII       | 4                        | 104                                                  |
| 19      | <b>HR-39E-5643</b>           | TII       | 2                        | 52                                                   |
| 20      | <b>MH-06-AQ-8551</b>         | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 21      | <b>MH-06-AQ-8552</b>         | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 22      | <b>MH-06-AQ-8553</b>         | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 23      | <b>MH-06-AQ-8554</b>         | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 24      | <b>MH-46H-0601</b>           | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 25      | <b>MH-46H-0602</b>           | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 26      | <b>MH-46-H-0603</b>          | Goldhofer | 8                        | 208                                                  |
| 27      | <b>MH-46-BM-2839</b>         | Goldhofer | 6                        | 156                                                  |
| 28      | <b>MH-46-BM-2840</b>         | Goldhofer | 3                        | 78                                                   |
| 29      | <b>MH-46-BM-2841</b>         | Goldhofer | 3                        | 78                                                   |
| 30      | <b>MH-46-BM-2842</b>         | Goldhofer | 3                        | 78                                                   |
| 31      | <b>MH-46-BM-2843</b>         | Goldhofer | 3                        | 78                                                   |
| 32      | <b>MH-46-BM-2845</b>         | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 33      | <b>MH-46-BM-2846</b>         | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |
| 34      | <b>MH-46-BM-2847</b>         | Goldhofer | 4                        | 104                                                  |

| Sl. No. | Registration No. of Trailers | Make           | No. of Axles in Trailers | GVW sanctioned/ Mentioned in RC of Trailers (in Ton) |
|---------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 35      | HR-38AF-1243                 | Goldhofer      | 4                        | 104                                                  |
| 36      | HR-38AF-2618                 | Goldhofer      | 4                        | 104                                                  |
| 37      | HR-58D-5414                  | Goldhofer      | 6 Split                  | 156                                                  |
| 38      | HR-58D-9642                  | Goldhofer      | 6                        | 156                                                  |
| 39      | HR-58E-2802                  | Goldhofer      | 6                        | 156                                                  |
| 40      | HR-38Z-5114                  | TII            | 4                        | 104                                                  |
| 41      | HR-38Z-7506                  | TII            | 6                        | 156                                                  |
| 42      | <b>HR-38AB-4422</b>          | TII            | 4                        | 104                                                  |
| 43      | <b>HR-38AB-9745</b>          | TII            | 6                        | 156                                                  |
| 44      | HR-38AE-6367                 | TII            | 6 Split                  | 156                                                  |
| 45      | HR-38AE-9822                 | TII            | 4 Split                  | 104                                                  |
| 46      | HR-55Q-9901                  | Goldhofer      | 6                        | 156                                                  |
| 47      | HR-55Q-9902                  | Goldhofer      | 8                        | 208                                                  |
| 48      | HR-55Q-9903                  | Goldhofer      | 6                        | 156                                                  |
| 49      | HR-55Q-9904                  | Goldhofer      | 8                        | 208                                                  |
| 50      | HR-55P-6278                  | Goldhofer      | 6                        | 156                                                  |
| 51      | HR-55P-6279                  | Goldhofer      | 4                        | 104                                                  |
| 52      | HR-55P-6281                  | Goldhofer      | 4                        | 104                                                  |
| 53      | HR-55P-6280                  | Goldhofer      | 6                        | 156                                                  |
| 54      | HR-55P-6282                  | Goldhofer      | 8                        | 208                                                  |
| 55      | HR-55AL-2610                 | Goldhofer SPMT | 6                        | 156                                                  |
| 56      | HR-55AL-1865                 | Goldhofer SPMT | 6                        | 156                                                  |
| 57      | DD-01L-9685                  | Goldhofer SPMT | 6                        | 156                                                  |

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

| Description | Unladen Weight axles in Tons (MT) | Weight of Consignment(MT) | Laden Weight of the Vehicle(MT) | Load Per Axle line (MT) | Laden Height of Vehicle (in meters) | Overall dimension of consignment (in meters) |       |       | Description of Coupling of axles in length and width |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
|             |                                   |                           |                                 |                         |                                     | L (m)                                        | W (m) | H (m) |                                                      |
| Stator      | 79.2                              | 466.26                    | 545.46                          | 22.73                   | 6048                                | 10.880                                       | 5.104 | 4.950 | 12+12=24 Axle                                        |
|             | 79.2                              | 466.26                    | 545.46                          | 22.73                   | 6050                                | 10.880                                       | 5.104 | 4.950 | 16+1\2=24Axle                                        |

|  |           |        |        |       |      |        |       |       |                                        |
|--|-----------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|----------------------------------------|
|  | 105.6+149 | 466.26 | 720.86 | 22.52 | 6376 | 10.880 | 5.104 | 4.950 | 16+16+32 Axle<br>with Girder<br>Bridge |
|--|-----------|--------|--------|-------|------|--------|-------|-------|----------------------------------------|

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

The specific route for transportation of the these over dimensional consignments will be from Bharat Heavy Electricals Limited Haridwar, Uttarakhand to Mahan Energen Limited, Singrauli, Madhya Pradesh by road through-

BHEL- Haridwar - Roorkee - Muzaffarnagar - Ghasipura - Khatauli Village - Pavlikhas Village - Kharkhauda Village - Hapur - Gulawathi Village - Bulandshahar - Khurya Bypass - Giridharpur Villatge - Sasni Village - Hathrus Bypass - Sultanganj - Maniya - Dholpur - Bamore Village - Gwailor Bypass - Dabra - Goraghat - Datiya - Chirula Check Post - Jhansi Bypass - Lalitpur Bypass - Ramnagar - Sagar - Sujampur - Maharajpur - Hiranpur - Linga - Kareli - Narsingpur - Bakori - Dodwara Village - Lakhandon - Dhuma Village - Bargi Village - Jabalpur - Gosalpur Village - Sihora Village - Chhapra Village - Tiwari Village - Katni - Zukehi Village - Khamriya Village - Paloha Village - Amdara Village & Naugaon Village - Mahedar Village - Barhiya Village - Amatepatan Village Bypass - Bela Village - Umri, Rewa - Rewa Bypass - Siddhi - Bahri - Bargawan - Parsauna - Rajmilan - Mahan Energen Limited, Madhya Pradesh.

- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s Prism Logistics Pvt. Ltd.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.



- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Andhra Pradesh, Gujarat Karnataka and Haryana.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F.No. RT-11042/04/2022-MVL]

Mahmood Ahmed, Add. Secy.